न्यायालय जिला कलक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी : श्री एल.एन. मंत्री, आई.ए.एस.

राजस्व विविध प्रकरण संख्या : 60/2021
जी.सी.एम.एस. संख्या : 2021/184

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी, तहसीलदार पाली		श्री सांवलिया पुत्र गला जाति राईका निवासी कूरना जिला पाली (राज.)

राजस्व विविध प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14(4) राजस्थान कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970

उपस्थित :–

प्रार्थी की ओर से सरकारी पैरोकार श्री सुरेन्द्र सिंह लबाना

–: निर्णय :–

दिनांक :– 30.09.2024

प्रार्थी ने यह प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 14(4) राजस्थान कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 के तहत प्रस्तुत कर तहसीलदार पाली द्वारा ग्राम कूरना के खसरा संख्या 2129/417 रकबा 10 बीघा भूमि का आवंटन को निरस्त करवाने हेतु प्रस्तुत की है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय से मूल नियमन रेकर्ड तलब किया गया। प्रार्थी की ओर से सरकारी पैरोकार श्री सुरेन्द्र सिंह लबाना वक्त बहस उपस्थित हुए एवं अप्रार्थी अथवा उनके अधिवक्ता को बार–बार आवाजे दिलवाये जाने के बावजूद वक्त बहस न्यायालय में अनुपस्थित आये। सरकारी पैरोकार की बहस सुनी गई।

प्रकरण में प्रार्थी भूमिधारी तहसीलदार द्वारा आवंटन निरस्त किये जाने के लिए जो प्रमुख आधार लिये गये है जो यह है कि अप्रार्थी को उप जिला कलक्टर पाली के आदेश क्रमांक/76 दिनांक 22.04.1976 को ग्राम कूरना के खसरा संख्या 2129/417 रकबा 10 बीघा किस्म बारानी सोयम भूमि का आवंटन किया गया था। अप्रार्थी को भूमि आवंटन के पश्चात् नामान्तरकरण संख्या 961 के तहत गैर खातेदार राजस्व रेकर्ड में दर्ज किया गया तथा वर्तमान में भी अप्रार्थी गैर खातेदार दर्ज है। अप्रार्थी आवंटन के समय से जैर आराजी पर काश्त नहीं कर रहा है जिससे जैर आवंटन काबिले खारिज है। अतः अप्रार्थी को किया गया जैर आवंटन निरस्त फरमावे।

जिला कलक्टर, पाली

श्रवणसुदा बहस व पत्रावली पर उपलब्ध रेकर्ड एवं दस्तावेजों का अवलोकन कर मनन किया तो यह पाया कि विपक्षी को आवंटन वर्ष 1976 में किया गया है। उक्त आवंटन के बाद की किसी भी खसरा गिरदावरी में काश्त दर्ज नहीं है। विपक्षी वर्तमान में भी गैर खातेदार ही दर्ज है। विपक्षी आवंटी बावजूद सूचना के गैर हाजिर है। इससे स्पष्ट होता है कि विपक्षी आवंटी के द्वारा आवटन के करीब 48 वर्ष बाद तक काश्त नहीं की अर्थात् आवंटन शर्त्तों की पालना नहीं की है। अतः आवंटन को रखे जाने का कोई औचित्य नहीं है। अतएव प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 14(4) राजस्थान कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 स्वीकार किया जाकर विपक्षी आवंटी को किये गये आवंटन ग्राम कूरना के खसरा संख्या ग्राम कूरना के खसरा संख्या 2129/417

Scanned with ACE Scanner

रकबा 10 बीघा भूमि का आवंटन निरस्त किया जाकर भूमि कब्जेराज ली जाकर बिलानाम दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार पाली एक माह में पालना सुनिश्चित करे।

निर्णय आज दिनांक **30.09.2024** को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एल.एन. मंत्री)
जिला कलक्टर, पाली
जिला कलेक्टर, पाली

Scanned with ACE Scanner